

### PROMOTION REPORT

**Academic Session: 2024–25** 

The Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of Janta Vedic College, Baraut is pleased to present this detailed report on the promotions of faculty members carried out during the academic session 2024–25. The promotions were conducted in accordance with the regulations of the University Grants Commission (UGC) and the guidelines issued by Chaudhary Charan Singh (C.C.S.) University, Meerut. These advancements reflect the college's commitment to academic excellence, faculty development, and continuous quality improvement.

#### 1. Promotion from Associate Professor to Professor

During the session 2024–25, 19 Senior **Associate Professors** of Janta Vedic College were successfully promoted from the post of **Professor**. The promotion process involved:

- **Scrutiny of Academic Records:** Verification of research publications, teaching experience, and administrative contributions.
- Evaluation by the Screening/Selection Committee: Assessment of eligibility as per UGC and university norms.
- Approval by the University Authorities/Director nominee: Final sanction of the promotion after due recommendation.

A **geotagged photograph** of the promotion meeting held at **C.C.S.** University, Meerut, was captured and preserved as evidence of the transparent and fair procedure adopted for the promotion.

# 2. Promotion from Assistant Professor to Senior Assistant Professor and Associate Professor

Another significant achievement during the same session was the promotion of a 26, faculty member from Assistant Professor to Senior Assistant Professor and Associate Professor. The promotion was implemented under the prescribed Pay Matrix Levels 11, 12, and 13A, ensuring compliance with UGC Career Advancement Scheme (CAS) guidelines. The process included:

- Evaluation of teaching performance, research contributions, and professional development activities.
- Verification of service records, student feedback, and participation in academic and administrative duties.
- Approval by the competent authorities of C.C.S. University/Director Nominee after due recommendations from the selection committee.

A geotagged photograph of the promotion meeting was also taken at C.C.S. University, Meerut, as part of the official documentation.

#### 3. Significance of the Promotions

These promotions are a testimony to the college's ongoing efforts to encourage academic growth, reward research and teaching excellence, and motivate faculty members to achieve higher professional standards. They also align with the IQAC objectives of enhancing institutional quality, fostering a culture of merit-based advancement, and ensuring compliance with higher education standards.

#### 4. Conclusion

The Internal Quality Assurance Cell acknowledges the dedication and scholarly contributions of the promoted faculty members and appreciates the support of C.C.S. University, Meerut, in

facilitating the timely execution of these promotions. Such milestones not only boost faculty morale but also strengthen the academic reputation of Janta Vedic College, Baraut.

# PROMOTION OF FACULTY MEMBER OF JANTA VEDIC COLLEGE BARAUT (ASSOCIATE PROFESSOR TO PROFESSOR)

			ल— 13A) से ए०जी०पी० 100 वेतन निर्धारण की त	गलिका		
पत्रांक :	डिग्री अर्थ-2/	817-18	/2024-25	दि	नांक 23/01/2025	
महाविद्या	ालयं का नाम :- <b>जनता वै</b>	देक कालेज, बंड़ी	त, बागपत।			
क्र० सं०	शिक्षक का नाम पदनाम/ विषय	नियुक्ति तिथि	वेतन बैण्ड 37400-67000 ग्रेंड पे 9000/- (एकेडिंगिक लेवल- 13A) से वेतन बैण्ड 37400-67000 ग्रेंड पे 10000/- (प्रोफेसर पदनाम एकेडिंगिक लेवल- 14) में प्रोन्नित की तिथि	वेतन बैण्ड 37400—67000 ग्रेंड में 9000 /— (एकंडमिक लेवल— 13A) में प्रोन्ति की तिथि को प्राप्त वेतन	वेतन बैण्ड 37490—67000 ग्रेंड पे 180000/— में प्रोन्नित की तिथि को पे मैद्रिक्स (एकेडमिक लेवल— 14) के अनुसार निर्धारित वेतन	अगली वेतनवृति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	डॉ० अरूण सोलंकी प्रोफेसर— कृषि अर्थशास्त्र	09-01-1990,	01-11-2021	192900	193800 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
2.	डॉ० गजेन्द्र प्रताप सिंह प्रोफेसर— कृषि प्रसार	11-04-1990	01-11-2021	192900	193800 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
3.	डॉ० मदन पाल प्रोफेसर— गणित	21-02-1991	01-11-2021	192900	193800 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
4.	डॉ० श्याम किशोर प्रोफेसर— रसायन विज्ञान	04-09-1995	01-11-2021	171400	172200 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
5.	डॉ० अरविन्द कुमार प्रोफेसर— जन्तु विज्ञान	01-03-2001	01-11-2021	156900	157600 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
6.	ढॉ० साधना तोमर प्रोफेसर- हिन्दी	06-07-2001	01-11-2021	156900	157600 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
7.	डॉ० देवेश गुप्ता प्रोफेसर— पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान	21-07-2001	01-11-2021	176500	177400 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
8.	डॉ० देवेन्द्र पाल सिंह तोमर प्रोफेसर— समाजशास्त्र	10-03-2001	01-11-2021	156900	157600 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022

9.	डॉo प्रताप चौधरी प्रोफेसर— राजनीति विज्ञान	05-10-2001	01-11-2021	156900	157600 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
10.	डॉ० विनय कुमार प्रोफेसर— भौतिक विज्ञान	30-06-2005	01-11-2021	143600	144200 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
11.	डॉ० जयवीर तोमर प्रोफेसर— शस्य विज्ञान	13-07-2005	01-11-2021	147900	148500 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
12.	डाँ० (श्रीमती) मुनेश प्रोफेसर— रसायन विज्ञान	03-03-2006	01-11-2021	143600	144200 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
13.	डॉ0 लोकेन्द्र सिंह प्रोफेसर— अर्थशास्त्र	24-07-2001	01-11-2021	156900	157600 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
14.	डॉ० शीश पाल सिंह प्रोफेसर— वनस्पति विज्ञान	20-07-2001	01-02-2024	166400	167200 (दि0 01.02.2024 से देय)	01-01-2025
15.	डॉ० सत्येन्द्र सिंह प्रोफेसर— समाजशास्त्र	04-08-2003	01-10-2022	161600	162300 (दि0 01.10.2022 से देय)	01-07-2023
16.	डॉ० लोकेन्द्र कुमार सिंह प्रोफेसर– कृषि प्रसार	11-07-2005	03-03-2024	156900	157600 (दि0 03.03.2024 से देय)	, 01-01-2025
17.	डॉ० विपिन कुमार द्विवेदी प्रोफेसर– कृषि वनस्पति	11-12-1985	01-11-2021	198700	199600 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
18.	विज्ञान डॉ० नरेन्द्र सिंह प्रोफेसर— राजनीति विज्ञान	11-12-1987	01-11-2021	198700	199600 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022
19.		22-12-1983	01-11-2021	210800	211800 (दि0 01.11.2021 से देय)	01-07-2022

नोट :- 1. उपरोक्त उपरोक्त वेतन निर्वारण आदेश महाविद्यालय द्वारा उपलब्द कराये गये पत्रजातों एवं स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि भविष्य में कोई उपरावत उपरावत वर्तन निवारण आदश महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराव गव पत्रणाता एव रक्रानिंग कमटा का सस्तुति क आधार पर निगत किया जा रहा है। यद मावब्ध न काई त्रुटि/विसंगति पाई जाती है तो इसके लिए महाविद्यालय व रक्रीनिंग कमेटी जिम्मेदार होंगे और उक्त आदेश निरस्त/संशोधित किये जाने का अधिकार निदेशक(उच्च शिक्षा) के पास सुरक्षित रहेगा और अधिक मुगतानित धनराशि सम्बन्धित शिक्षक से वसूली कर ली जायेगी।
 इस वेतन निर्धारण आदेश की देयता अधिवर्षता आयु तक ही है। प्रत्येक शिक्षकों/समकक्ष संवर्गों को सन्नांत की अवधि में कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होंगी।
 प्राचार्य/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि शिक्षक वर्तमान महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, जिससे कि किसी भी प्रकार का अनियमित मुगतान न होने पाये।


(बिक्रम सिंह)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(उ०शि०), कृते वित्त नियंत्रक(उ०शि०), ुं उ०प्र०, प्रयागराज।

# GEOTAGGED PHOTOGRAPH OF PROMOTION MEETING AT C.C.S. UNIVERSITY MEERUT



























### PROMOTION OF FACULTY MEMBER OF JANTA VEDIC COLLEGE BARAUT (ASSISTANT PROFESSOR TO SENIOR ASSISTANT PROFESSOR AND ASSOCIATE PROFESSOR, (Pay Matrix 11,12,13A)

प्रेषक सेवा में प्रबन्धक / प्राचार्य जनता वैदिक कालेज, बड़ौत, बागपत। दिनांक 94 / 10 /2024 पत्रांक : डिग्री अर्थ-2 / 561 विषय : सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों को कैरियर एडवांसमेंट योजना एवं ए०पी०आई० व्यवस्था अन्तर्गत प्रोन्नति/वेतन निर्धारण एवं सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से यू०जी०सी० वेतनमान से आच्छादित शिक्षकों / समकक्ष संवर्गों के वेतन पुनरीक्षण / वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में। उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूच्य है कि शासनादेश संख्या 2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010, सहपठित शासनादेश संख्या 377 / सत्तर-1-2013-16(114) / 2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 एवं शासनादेश संख्या 05/2015 /98/सत्तर-1-2015(114)/2010 दिनांक 28 मई. 2015 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रोन्नति हेत् के लिए कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत "परफारमेन्स वेस्ड अप्रेजल सिस्टम" में अर्जित ए०पी०आई० अंकों के आधार पर किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है। कैरियर एड्वान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नित के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 803/सत्तर-2- 09-16(21)/2000 दिनांक 28 फरवरी 2009, शासनादेश संख्या 1351 / सत्तर-2-2009 -3(3) / 96 टी०सी०-111 दिनांक 13 मई 2009, शासनादेश संख्या 10/2016/1125/सत्तर- 1-2016-16(114)/ 2010 दिनांक 22.11.2016 एवं शासनादेश संख्या-01/2017/650/सत्तर-1-2017-16(114)/2010 दिनांक 28.07.2017, शासनादेश संख्या : 1124/सत्तर-4-2018 -- 358(वि०वे०आ०) / 2018 दिनांक 13 सितम्बर 2018 द्वारा भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च विभाग नई दिल्ली के आदेश संख्या : 1-7-/2015-U-II(1) दिनांक 02 नवम्बर 2017 यथा संशोधित आदेश संख्या 1-7-/2015-U-11(1) दिनांक 08 नवम्बर 2017, शासनादेश संख्या-600/सत्तर -1-2019-16(114)/2010, दिनांक 28 जून 2019, शासनादेश संख्या 1190/सत्तर-1-2019-16(114)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 एवं शासनादेश संख्या : 1607 / सत्तर-1-2021-16(43) / 2021 दिनांक 01.11.2021 द्वारा वेतन पुनरीक्षण योजना प्रदेश के विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्गों के सम्बन्ध में निर्गत पें मैट्रिक्स के अनुसार सम्बन्धित शिक्षकों / समकक्ष संवर्गों के वेतन निर्धारण की तालिका इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में यदि इस वेतन निर्धारण में कोई त्रिट / विसंगति पायी जाती है तो उनके द्वारा दिये गये अण्डरटेकिंग (सहमति पत्र) के अनुसार अधिक भगतानित धनराशि की वापसी सम्बन्धित शिक्षक / प्राचार्य / प्रबन्धक से कराये जाने का अधिकार शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के पास सुरक्षित रहेगा।

2. दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के वेतनमानों में जिन शिक्षकों के वेतन निर्धारण में आपस्ति लगायी गयी है उनका निराकरण किये जाने के पश्चात ही पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा। साथ ही किये गये पुनरीक्षण वेतनमान में वेतन निर्धारण के साथ अन्युदित अंकित है तो सूचना पत्रजात प्रेषित कर अन्युदित विलुप्त करा ली जावे। यह वेतन निर्धारण महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अमिलेखां एवं रक्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि भविष्य में कोई त्रुटि/विसंगति पायी जाती है तो इसके लिए महाविद्यालय प्रबन्धक/प्राचार्य एवं स्क्रीनिंग कमेटी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे और उक्त आदेश निरस्त/संशोधित किये जाने का अधिकार शिक्षा

निदेशक(उच्च शिक्षा) के पास स्रक्षित रहेगा।

3. प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक सम्बन्धित शिक्षकों / समकक्ष संवर्गों को उनके वेतन निर्धारण की प्रति उपलब्ध करा दें।

संलग्नक- वेतन निर्धारण तालिका।

(बिक्रम सिंह) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(उ०शि०), कृते वित्त नियंत्रक (उ०शि०), है, उ०प्र०, प्रयागराज।

पु०सं० : डिग्री अर्थ-2/ प्रतिलिपि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (बिक्रम सिंह) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(उ०शि०), कृते वित्त नियंत्रक(उ०शि०), उ०प्र०, प्रयागराज।

### अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एड्वान्समेन्ट योजनान्तर्गत (ए०जी०पी० 6000/- (एकेडमिक लेवल- 10) से ए०जी०पी० 7000/- (एकेडमिक लेवल- 11) में वेतन निर्धारण की तालिका

पन्नांक : डिग्री अर्थ-2/

561-62

/2024-25

दिनांक 24 / 10 / 2024

महाविद्यालय का नाम :- जनता वैदिक कालेज, बड़ौत, बागपत।

कम संव	े शिक्षक का नाम पदनाम/ विषय	नियुक्ति तिथि	वेतनमान 15600—39100 ग्रेड पै 6000 / — से वेतनमान 15600—39100 ग्रेड पे 7000 / — में प्रोन्नित की तिथि	वेतनमान 15600-39100 ग्रेंड वे 6000/- ये मैद्रिक्स (एकंडमिक लेवल- 10) में प्रोन्नित की तिथि को प्राप्त वेतन	वेतनमान 15600-39100 ग्रेंड पे 7000/- में ग्रोत्नित की तिथि को पे मैट्रिक्स (एकंडमिक लेवल- 11) के अनुसार निर्धारित वेतन	अगली वेतनवृद्धि की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	डॉ० उमेन्द्र कुमार असि०प्रो०- रसायन विज्ञान	08-03-2019	08-03-2023	64900	68900 (दि0 08.03.2023 से देय)	01-01-2024
2.	डॉ० अनुज कुमार बालियान असि०प्रो०— रसायन विज्ञान	22-03-2019	22-03-2023	64900	68900 (दि0 22.03.2023 से देय)	01-01-2024
3.	डॉ० मनोज कुमार शर्मा असि०प्रो०— वनस्पति विज्ञान	08-03-2019	08-03-2023	64900	68900 (दि० 08.03.2023 से देय)	01-01-2024
4.	डॉ० इन्दू असि०प्रो०— वनस्पति विज्ञान	08-03-2019	08-03-2023	64900	68900 (दि० 08.03.2023 से देय)	01-01-2024
5.	डॉo रेनू चौधरी असिoप्रोo— वनस्पति विज्ञान	21-09-2019	21-09-2023	64900	68900 (दि० 21.09.2023 से देय)	01-07-2024
6.	डॉ0 नीलम राणा असि०प्रो0— हिन्दी	08-03-2019	08-03-2023	64900	68900 (दि० 08.03.2023 से देय)	01-01-2024
7.	डॉ० गीता रानी असि०प्रो०— हिन्दी	08-03-2019	08-03-2023	64900	68900 (दि0 08.03.2023 से देय)	01-01-2024
8.	डॉं० अमित कुमार पाण्डेय असि०प्रो०– हिन्दी	12-10-2018	12-10-2022	64900	68900 (दि0 12.10.2022 से देय)	01-07-2023

9

9.	डॉ० सौरम कुमार सिंह असि0प्रो0— उद्यान विज्ञान	07-01-2020	07-01-2024	64900	68900 (दि0 07.01.2024 से देय)	01-01-2025
10.	डॉo अनुपम तिवारी असिoप्रोo— उद्यान विज्ञान	20-02-2020	20-02-2024	64900	68900 (दि0 20.02.2024 से देय)	01-01-2025
11.	डॉ० धमेन्द्र कुमार असि०प्रो०— कृषि कीट विज्ञान	07-01-2020	07-01-2024	64900	68900 (दि0 07.01.2024 से देय)	01-01-2025
12.	डॉ० योगेन्द्र सेन असि०प्रो०– कृषि कीट विज्ञान	09-01-2020	09-01-2024	64900	68900 (दि0 09.01.2024 से देय)	01-01-2025
13.	डॉ० अजय कुमार राम असि०प्रो०— भूगोल	11-06-2020	11-06-2024	64900	68900 (दि0 11.06.2024 से देव)	01-01-2025
14.	डॉo देवेन्द्र सिंह असिoप्रोo- भूगोल	03-03-2020	03-03-2024	64900	68900 (दि0 03.03.2024 से देय)	01-01-2025
15.	डॉ० मालती असि०प्रो०— जन्तु विज्ञान	01-10-2019	01-10-2023	64900	68900 (दि0 01.10.2023 से देय)	01-07-2024
16.	डॉ० मुकेश कुमार असि०प्रो०- पादप रोग विज्ञान	01-02-2020	01-02-2024	64900	68900 (दि० 01.02.2024 से देय)	01-01-2025
17.	डॉ० प्रशान्त यादव असि०प्रो०— भौतिक विज्ञान	22-03-2019	22-03-2023	64900	68900 (दि० 22.03.2023 से देय)	01-01-2024
18.	डॉंंं राकेश कुमार आत्रेय असिंंग्रो०— दुग्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	08-03-2019	08-03-2023	64900	68900 (दिठ 08.03.2023 से देव)	01-01-2024
19.	डॉ० शीतल बांगा असि०प्रो०— कृषि अभियंत्रण	09-01-2020	09-01-2024	64900	68900 (दि0 09.01.2024 से देय)	01-01-2025
20.	डॉ० सविता तोमर असि०प्रो०– सस्य विज्ञान	08-03-2019	08-03-2023	64900	68900 (दि० 08,03,2023 से देव)	01-01-2024

- 1. उपरोक्त उपरोक्त वेतन निर्धारण आदेश महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों एवं स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर एवं वित्त नियंत्रक(उ०शि०) के अनुमोदन उपरान्त निर्गत किया जा रहा है। यदि भविष्य में कोई त्रुटि/विसंगति पाई जाती है तो इसके लिए महाविद्यालय व स्क्रीनिंग कमेटी जिम्मेदार होंगे और उक्त आदेश निरस्त/संशोधित किये जाने का अधिकार निदेशक(उच्च शिक्षा) के पास सुरक्षित रहेगा और अधिक भुगतानित धनराशि सम्बन्धित शिक्षक से वस्तुली कर ली जायेगी।
2. इस वेतन निर्धारण आदेश की देयता अधिवर्षता आयु तक ही है। प्रत्येक शिक्षकों/समकक्ष संयार्ग को सत्रांत की अविध में कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होंगी।

3. प्राचार्य / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी प्रकार का अनियमित भुगतान न होने पाये।

वरिष्ठ वित्तं एवं लेखाधिकारी(उ०शि०). कृते वित्त नियंत्रक(उ०शि०). ख०प्र०, प्रयागराज।

#### अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एड्वान्समेन्ट योजनान्तर्गत (ए०जी०पी० 7000/- (एकंडिमक लेवल- 11) से ए०जी०पी० 8000/- (एकंडिमक लेवल- 12) में वेतन निर्धारण की तालिका

पत्रांक : डिग्री अर्थ-2/

561-62

/ 2024-25

दिनांक : 24 / 10 / 2024

महाविद्यालय का नाम :- जनता वैदिक कालेज, बड़ौत, बागपत।

कम सं०	शिक्षक का नाम पदनाम/ विषय	नियुक्ति तिथि	वेतनमान 15600—39100 ग्रेड पे 7000/— से वेतनमान 15600—39100 ग्रेड पे 8000/— में प्रोन्नति की तिथि	वेतनमान 15600-39100 ग्रेंड पे 7000/- पे मैट्रिक्स (एकेडमिक लेवल- 11) में प्रोन्नति की तिथि को प्राप्त वेतन	वेतनमान 15600—39100 ग्रेंड पे 8000/— में प्रोन्मति की तिथि को पे मैद्रिक्स (एकेडमिक लेवल— 12) के अनुसार निर्धारित वेतन	अगली वेतनवृद्धि की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पुखराज सिंह असि०प्रो०— कृषि अर्थशास्त्र	16-08-2010	16-08-2021	79900	82200 (दि0 16.08.2021 से देय)	01-07-2022

- 1. उपरोक्त उपरोक्त वेतन निर्धारण आदेश महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातो एव स्क्रीनिंग कमेटी की सस्तुति के आधार पर एवं वित्त निर्धन्नक(उपरोक्त वेपरान्त निर्मत किया जा रहा है। यदि मविष्य में कोई बुटि/विसगित पाई जाती है तो इसके लिए महाविद्यालय व स्क्रीनिंग कमेटी जिम्मेदार होंगे और उक्त आदेश निरस्त/संशोधित किये जाने का अधिकार निर्देशक(उच्च शिक्षा) के पास सुरक्षित रहेगा और अधिक मुगतानित धनराशि सम्बन्धित शिक्षक से वसुली कर ली जायेगी।
2. इस वेतन निर्धारण आदेश की देवता अधिवर्षना आयु तक ही हैं। प्रत्येक शिक्षको/समकक्ष संवर्गी को सवात की अवधि में कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होंगे।
3. प्राचार्य/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि किसी भी प्रकार का अनियमित मुगतान न होने पाये।

(बिक्रम सिंह) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी(उ०शि०), कृते वित्त नियंत्रक (उ०शि०), भु चंवप्रव, प्रयागराज।

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत (ए०जी०पी० ८००० / - (एकंडिमक लेवल - 12) से ए०जी०पी० १००० / - (एकंडिमक लेवल - 13A) में वेतन निर्धारण की तालिका

पत्रांक : डिग्री अर्थ-2/

561-62

/2024-25

दिनांक : 24 / 10 / 2024

महाविद्यालय का नाम - जनता वैदिक कालेज, बड़ौत, बागपत।

前0 村0	शिक्षक का नाम पदनाम / विषय	नियुक्ति तिथि	वेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेंड पे 8000 / - (एकंडमिक लेवल- 12) से वेतन बैण्ड 37400-67000 ग्रेंड पे 9000 / - (एकंडमिक लेवल- 13A) में प्रोन्नति की तिथि	वेतन बैण्ड 37400-67000 ग्रेड पे 9000/- में प्रोन्ति की तिथि को पे मैट्रिक्स (एकेडमिक लेबल- 13A) के अनुसार निर्धारित वेतन	अगली येलनवृद्धि की तिष्धि
	2	3	4	5	6
1	-X- uffer Press	25-08-2010	25-08-2022	131400	01-07-2023
	डॉ० रश्मि निगम	20 00 20 10		(दि० 25.08.2022 से देय)	
	एसोसिएट प्रोफेसर- पादप रोग विज्ञान	04-01-2011	04-01-2023	131400	01-01-2024
	डॉ० अनिल कुमार	04-01-2011		(दि0 04.01.2023 से देय)	
	एसोसिएट प्रोफेसर- जन्तु विज्ञान		04-01-2023	131400	01-01-2024
	डॉंंंंंंं देवेन्द्र पाल सिंह	04-01-2011	04-01-2025	(दि० 04.01.2023 से देय)	
	एसोसिएट प्रोफेसर- जन्तु विज्ञान	16-08-2010	16-08-2022	131400	01-07-2023
	डॉ० जोगिन्द्र सिंह	10-00-2010		(दि0 16.08.2022 से देय)	
	एसोसिएट प्रोफेसर- उद्यान विज्ञान		03-02-2023	131400	01-01-2024
	डॉ० राजीय कुमार एसोसिएट प्रोफेसर- सांख्यिकी	28-01-2009	03-02-2023	(दि0 03.02.2023 से देय)	

्रामार्थि आपर पर एवं दिल निर्दारण आदेश महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों एवं स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर एवं दिल निराजक(उठिक) के अनुगोदन उपरान्त निर्माट निराजक उपलब्ध कराये गये पत्रजातों एवं स्क्रीनिंग कमेटी जिस्मेदार होगे और उचल आदेश निरस्ता/संशोधित किये जाने का अधिकार किया जा रहा है। यदि मधिया में कोई त्रुटि/विस्तादित पत्रजातीं सम्मिद्धा शिक्षक से वसूनी कर त्रावेगी। निरंपका(एवंच शिक्षा) के पास सुपर्वित रहेगा और अधिक भुगतानित चनराति सम्मिद्धा शिक्षक से वसूनी कर तो जावेगी। निराजक के देवता अधिकारी आपूर्विक ही है। प्रत्येक शिक्षकों/समक्या संवार्ग को सत्रात की अवधि में कोई बेतन वृद्धि देव नहीं होंगी। 2 इस वेतन निर्माट आपरोक्त के देवता अधिकारी आप तक ही है। प्रत्येक शिक्षकों/समक्या संवार्ग को सत्रात की अवधि में कोई बेतन वृद्धि देव नहीं होंगी।

अधिकारी अधिकारी पत्रज्ञानिक स्वत्य स्वत्

कुर्म (बिक्रम सिंह) विष्ण वित्त एवं लेखाधिकारी(उ०शि०), कृते वित्त नियंत्रक(उ०शि०), उ०प्र०, प्रयागराज।

### GEOTAGGED PHOTOGRAPH OF PROMOTION MEETING AT C.C.S. UNIVERSITY MEERUT





















This report highlights the successful completion of faculty promotions in accordance with university norms and IQAC quality standards.